भागलपुर समाहरणालय

जिला राजस्व शाखा

आम सूचना

सर्व साधारण को जानकारी हेतु सूचित किया जाता है कि भागलपुर जिलान्तर्गत निम्नांकित सैरातों की वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए बंदोवस्ती हेतु आम डाक निम्न अंकित स्थानों पर दिनांक **28.03.2020(शनिवार)** को **11.00** बजे पूर्वाह्न में की जाएगी। अपरिहार्य कारणवश उक्त तिथि को डाक नहीं होने पर दिनांक **30.03.2020(सोमवार)** को डाक की जायेगी। यदि उक्त तिथि को भी डाक नहीं हो पायी तो दिनांक **31.03.2020 (मंगलवार)** को पूर्व निर्धारित स्थान एवं समय पर डाक की जाएगी। यदि उक्त तिथि को भी डाक नहीं हो पायी तो किसी भी कार्यदिवस में डाक की जायेगी।

क्र0	सैरातों का नाम	सुरक्षित जमा राशि	सुरक्षित जमा राशि का 10 %	अंचल का नाम	डाक का स्थान
1	सुलतानगंज अगुवानी घाट	1426000.00	142600.00	सुलतानगंज	समाहर्त्ता का कार्यालय वैश्म
2	कहलगॉव हाट	1032700.00	103270.00	कहलगॉव	
3	जगदीशपुर हाट	948750.00	94875.00	जगदीशपुर	
4	गुदरी हाट, नाथनगर	861350.00	86135.00	नाथनगर	
5	शाहकुण्ड हाट	624629.00	62462.00	शाहकुण्ड	
6	अकबरनगर राजस्व हाट	603407.00	60340.00	सुलतानगंज	
7	ढ़ोलबज्जा हाट	501400.00	50140.00	नवगछिया	
8	तीनटंगा कहलगाँव फेरी घाट सेवा	393300.00	39330.00	कहलगाँव	
9	ढनढनियाँ पट्टी हाट	392216.00	39221.00	सबौर	
10	पीरपैंती हाट बाजार	379500.00	37950.00	पीरपैंती	
11	शाहजंगी महेशी हाट	342700.00	34270.00	जगदीशपुर	
12	मधुरापुर हाट	338100.00	33810.00	नारायणपुर	
13	राजस्व हाट, खरीक	315416.00	31541.00	खरीक	
14	माधी मेला महादेवपुर जहाज घाट	265650.00	26565.00	खरीक	
15	अमडंडा हाट	241500.00	24150.00	सन्हौला	
16	बभनगामा हाट	238050.00	23805.00	बिहपुर	
17	सनौखर हाट	230000.00	23000.00	सन्हौला	
18	सजौर हाट	197800.00	19780.00	शाहकुण्ड	अपर समाहर्त्ता का कार्यालय वैश्म
19	बिहपुर हाट	193200.00	19320.00	बिहपुर	
20	झंडापुर हाट	185818.00	18581.00	बिहपुर	
21	दासपुर/रामपुरडीह हाट	181023.00	18102.00	शाहकुण्ड	
22	बट्टी बाजार आढ़त रसलपुर खातकिया	173650.00	17365.00	नवगछिया	
23	बगडेर फलकर	157411.00	15741.00	सबौर	
24	साहु पाड़ा मवेशी हाट	147200.00	14720.00	सन्हौला	
25	पंचरूखी हाट	140688.00	14068.00	शाहकुण्ड	
26	पत्थरघट्टा घाट	125109.00	12510.00	रंगराचौक	
27	कजरैली हाट	124200.00	12420.00	नाथनगर	
28	तीनटंगा आढ़त खुटा गढ़ाय	102659.00	10265.00	कहलगाँव	

D:\Revenue-2018 and 2019\Letters\Suraj mohan\suraj letter 2018.docx

डाक में भाग लेने वाले व्यक्तियों को निम्नांकित शर्तों का पालन करना होगा –

1) डाक वक्ता को डाक में भाग लेने के पूर्व निर्धारित सुरक्षित जमा राशि का 10 प्रतिशत जमानत राशि के रूप में जिला नजारत शाखा, भागलपुर में जमा करना होगा। डाक की समाप्ति पर असफल डाक वक्ता को उसके द्वारा जमानत की राशि वापस कर दी जाएगी।

2) डाक वक्ता को डाक में भाग लेने के पूर्व सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र– प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण–पत्र एवं सैरात का बकाया रहित प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा।

3) उच्चतम डाक वक्ता के साथ बन्दोबस्ती की जायेगी। यदि सक्षम सहयोग समिति, नाव घाट का बंदोबस्ती लेने के लिए तैयार होगा तो उस घाट की बंदोबस्ती जिला सहकारिता पदाधिकारी या सक्षम सहयोग समिति की अनुशंसा के आलोक में सुरक्षित जमा राशि पर बंदोबस्ती की जायेगी।

4) उच्चतम डाक वक्ता को डाक की सम्पूर्ण राशि एवं डाक की राशि का 2 प्रतिशत निबंधन शुल्क तथा 6 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क, डाक समाप्ति के तुरत बाद जमा करना होगा, अन्यथा जमानत की राशि जब्त करते हुए द्वितीय डाकवक्ता को राशि जमा करने का आदेश दे दिया जायेगा।

5) उच्चतम डाक वक्ता को बन्दोबस्ती के पश्चात एकरारनामा का निबंधन कराना होगा, अन्यथा परवाना निर्गत नहीं किया जायेगा।

6) अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये बन्दोबस्ती रद्द या स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

विशेष जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय राजस्व शाखा से किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है अथवा कार्यालय सूचना पट्ट पर एवं website : www.bhagalpur.bih.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

ह०/–
समाहर्त्ता,
भागलपुर।

ज्ञापांक– XXXVII-5/13/ 1111 /रा0 दिनांक– 12.03.20

प्रतिलिपिः– सभी अंचल अधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/अनुमंडल पदाधिकारी, जिला भागलपुर/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी प्रखंड प्रमुख, भागलपुर जिला को आम सूचना की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं वृहत प्रचार–प्रसार हेतु एवं सूचना पट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित। संबंधित अंचल अधिकारी, बस पड़ाव, हाट बाजार एवं मेला के जगहों पर डुगडुगी पिटवाकर प्रचार–प्रसार करेंगे, साथ ही प्रखंड त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को तत्संबंधी नोटिस देगें।

प्रतिलिपि :– वरीय उप समाहर्त्ता, जिला नजारत शाखा, भागलपुर को आम सूचना की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि डाक में भाग लेने वाले डाकवक्ता से जमानत की राशि जमा लेंगे एवं डाक के समय नाजिर को उपस्थपित रहने का निदेश देगें।

प्रतिलिपि :– जिला सहकारिता पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, भागलपुर को आम सूचना की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि जन सम्पर्क निदेशालय से सम्पर्क स्थापित कर दो दैनिक समाचार पत्रों में सैरातों की बंदोबस्ती संबंधी आम सूचना अविलंब प्रकाशित कराना सुनिश्चित करेंगे तथा पेपर कतरन जिला राजस्व शाखा, भागलपुर को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0 आई0 सी0, भागलपुर को अनुलग्नक सहित आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि नीलामी सूचना की प्रति को वेबसाईट पर प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– सभी समाहर्त्ता, बिहार को सूचनार्थ एवं सूचनापट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त के सचिव, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सरकार के अपर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

समाहर्त्ता,
भागलपुर।
9/3/20

D:\Revenue-2018 and 2019\Letters\Suraj mohan\suraj letter 2018.docx